



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 324] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 3, 1978/कार्तिक 12, 1900
No. 324] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 3, 1978/KARTIKA 12, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1978

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा. का. नि. 528(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधि-
नियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित
नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (14वां संशोधन) नियम,
1978 है।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 173-ग के उपनियम (2) में,—

(क) खण्ड (4) में अन्त में “या” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(ख) खण्ड (4) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा,
अर्थात्:—

“(5) विभिन्न केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलेक्टरों या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलेक्टरों की अधिकारिता के भीतर स्थित अपने कारखानों से समान किस्म और क्वालिटी के माल की निकासी करता है।”

[सं. 194/73 के. उ. श./फा. सं. 224/26/78-के. श. 6]

के. डी. तायल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 1978

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 528(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely :—

1. These rules may be called the Central Excise (14th Amendment) Rules, 1978.

2. In the Central Excise Rules, 1944, in rule 173-C, in sub-rule (2),—

(a) in clause (iv), the word “or” shall be inserted at the end ;

(b) after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely :—

“(v) clears the goods of the same kind and quality from his factories located in the jurisdiction of different Collectors of Central Excise or Assistant Collectors of Central Excise.”

[No. 194/78-C.E./F. No. 224/26/78-CX. 6]

K. D. TAYAL, Under Secy.